



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-10102025-266851
CG-DL-E-10102025-266851

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4507]

नई दिल्ली, शुक्रवार, अक्तूबर 10, 2025/आश्विन 18, 1947

No. 4507]

NEW DELHI, FRIDAY, OCTOBER 10, 2025/ASVINA 18, 1947

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 8 अक्तूबर, 2025

का.आ. 4636(अ).— केंद्रीय सरकार, राष्ट्रीय सहबद्ध और स्वास्थ्य देख-रेख वृत्ति आयोग अधिनियम, 2021 (2021 का 14) की धारा 4 के साथ पठित धारा 3 की उपधारा (1) और (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (ii), तारीख 11 मार्च, 2024 में प्रकाशित भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का. आ. 1248 (अ), तारीख 11 मार्च, 2024, का और संशोधन करने के लिए, निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:-

उक्त अधिसूचना में, “धारा 3 की उपधारा (3) के खंड (ग) के अधीन सदस्य” से संबंधित पैरा (2) में, सारणी में, क्रम संख्या (ix) के सामने, स्तंभ (2) में, मद (ग) और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित को रखा जाएगा, अर्थात्:—

सदस्य
(2)
“(ग) डॉ. साका विनोद कुमार, चिकित्सा अधीक्षक, जवाहरलाल स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा और अनुसंधान संस्थान, पुडुचेरी।”।

[फा. सं. जेड-28016/03/2023-एएचएस-पार्ट -1]

विनोद कोतवाल, अपर सचिव

टिप्पणी: मूल अधिसूचना भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (ii) में अधिसूचना संख्यांक का. आ. 1248(अ), तारीख 11 मार्च, 2024 द्वारा प्रकाशित की गई थी और अधिसूचना संख्यांक का. आ. संख्या 1066(अ), तारीख 28 फरवरी, 2025 द्वारा अंतिम बार संशोधित की गयी थी।

MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE**NOTIFICATION**

New Delhi, the 8th October, 2025

S.O. 4636(E).— In exercise of the powers conferred by sub-sections (1) and (2) of section 3 read with section 4 of the National Commission for Allied and Healthcare Professions Act, 2021 (14 of 2021), the Central Government hereby makes the following amendments further to amend the notification number S.O.1248 (E), dated the 11th March, 2024 of the Government of India in the Ministry of Health and Family Welfare, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, section 3, sub-section (ii), dated the 11th March, 2024, namely:—

In the said notification, in paragraph (2) relating to “Members under clause (c) of sub-section (3) of section 3”, in the Table, against serial number (ix), in column (2), for item (c) and the entries relating thereto, the following shall be substituted, namely:—

Member
(2)
“(c) Dr. Saka Vinod Kumar, Medical Superintendent, Jawaharlal Institute of Postgraduate Medical Education & Research, Puducherry.”.

[F. No. Z-28016/03/2023-AHS-Part (1)]

VINOD KOTWAL, Addl. Secy.

Note: The principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, section 3, sub-section (ii) *vide* notification number S.O. 1248 (E), dated the 11th March, 2024 and was last amended *vide* notification number S.O. 1066 (E), dated the 28th February, 2025.